

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-295/2024 दिनांक 20.10.2024)

***दिनांक-20.10.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया
सराहनीय कार्य-***

*जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध व पुरस्कार घोषित, गैंगेस्टर, जिलाबदर एवं वांछित / वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे (विशेष अभियान) के क्रम में आज दिनांक 20.10.2024 को विगत 24 घण्टे में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुये कुल **22 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है इसी क्रम में पिछले 72 घण्टे में कुल **213 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है।*

अंतर्राज्यीय एक शराब तस्कर गिरफ्तार, 24 पेटी अवैध देशी शराब मय 02 अदद मोटरसाईकिल (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 02 लाख रुपये) बरामद-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सन्तोष कुमार मिश्रा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.10.2024 को रकबा राजा निकट झरही नाला के पास से थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त पुनीत गिरी पुत्र सिपाही गिरी निवासी कोईसा खुर्द थाना कटया जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर 24 पेटी अवैध देशी शराब मय दो अदद मोटरसाईकिल की बरामदगी की गयी। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 332/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछ-ताछ का विवरण-

पूछ-ताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया कि वे लोग गन्ने के खेत/झाड़ियों में अवैध शराब का भण्डारण करते हैं। मौका देखकर रात के अंधेरे में दो पहिया वाहनों से बिहार राज्य में ले जाकर तस्करी कर धन अर्जित करते हैं।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 332/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त-

पुनीत गिरी पुत्र सिपाही गिरी निवासी कोईसा खुर्द थाना कटया जनपद गोपालगंज बिहार

बरामदगी का विवरण:-

- 1- कुल 24 पेटी देशी शराब (20 पेटी देशी शराब लैला व 4 पेटी देशी शराब बन्टी बबली फ्रूटी प्रत्येक पेटी में 45 फ्रूटी कुल 1080 अदद फ्रूटी (कुल 216 लीटर) (कुल कीमत लगभग 54 हजार रुपये)
- 2- दो अदद वाहन मो0सा0 रजि0नं0 UP 52 N 5864 व BR 01, 0262 (कीमत लगभग 01 लाख 50 हजार रुपये)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष श्री दीपक कुमार सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 श्री रामचन्द्र थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 3-उ0नि0 श्री श्रवण कुमार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 4-उ0नि0 श्री सच्चिदानन्द यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 5-हे0का0 जितेन्द्र सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 6-का0 अवधेश कुमार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 7-का0 राजन जायसवाल थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 8-का0 आनन्द कुमार यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।

थाना चौराखास पुलिस द्वारा 900 पाउच अवैध देशी शराब (कुल कीमत लगभग 45000/- रुपये) सहित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सन्तोष कुमार मिश्रा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.10.2024 को थाना चौराखास पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तो 1. पप्पू यादव पुत्र रामअशीष यादव सा0 पकहा थाना बघौचघाट जनपद देवरिया व 2. हिरालाल उराव पुत्र बन्धन उरांव निवासी चेड़ेया थाना घघटा जनपद गुमक झारखण्ड को गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर दो बोरी में 900 पाउच (प्रत्येक 200 ML) अवैध देशी शराब (कुल कीमत लगभग 45000/- रुपये) की बरामदगी की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0190/2024 व 191/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 190/2024 व 191/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. पप्पू यादव पुत्र रामअशीष यादव सा0 पकहा थाना बघौचघाट जनपद देवरिया
2. हिरालाल उराव पुत्र बन्धन उरांव निवासी चेड़ेया थाना घघटा जनपद गुमक झारखण्ड

बरामदगी विवरण-

दो बोरी में 900 पाउच (प्रत्येक 200 ML) अवैध देशी शराब कुल कीमत लगभग 45000/- रुपये

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक चन्द्रभूषण प्रजापति थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 देवीलाल थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
3. का0 अश्वनी कुमार थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
4. का0 जितेन्द्र यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
5. का0 रामविलास यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 10 पेटी अवैध देशी शराब (कुल कीमत लगभग 22000/- रुपये) के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सन्तोष कुमार मिश्रा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.10.2024 को जीरो पुल के पास से थाना सेवरही पुलिस द्वारा एक अभियुक्त फेंकू सिंह पुत्र भरजाद सिंह निवासी धुमपट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर 10 पेटी देशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 353/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 353/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

फेंकू सिंह पुत्र भरजाद सिंह निवासी धुमपट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

बरामदगी विवरण:-

10 पेटी अवैध देशी शराब (कुल कीमत लगभग 22,000/- रुपये)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री आकाश सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 संदीप वर्मा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4. का0 संजय यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
5. का0 उधम सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
6. का0 सुबेदार यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
7. का0 शुभम यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 50 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-40, व्यक्ति-121
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(26)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-76)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर